प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 353 सन 2021
अनवान :–

1. संदीप कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. धनपतराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. अजीत कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. सुनिल कुमार गोदारा पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
8. अल्पा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
9. गोमती पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
10. गुडडी पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
11. मांगूदेवी पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
12. कैलाश पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा वक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 34/25 की कुल 3.3898हैक एवं रोही मौजा चक 1 केएम के खाता संख्या 22/24 की कुल 7.4130हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा धनपतराम पुत्र पुरखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा धनपतराम पुत्र पुरखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा धनपतराम पुत्र पुरखराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,6 वादी के पिता एवं दादा है जो काश्त करने में असमर्थ है ने एवं प्रतिवादी संख्या 5, 8 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5, 8 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5, 6 ,8 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता धनपतराम पुत्र पुरखराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ,8 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक्‍ एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक्‍ व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि धनपतराम पुत्र पुरखराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा धनपतराम पुत्र पुरखराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा धनपतराम पुत्र पुरखराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ,8 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ,8 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ,8 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पास रोही मोजा चक 1 केएम के खाता संख्या 22/24 के प0न0 224/389(26) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250हैक्‍ गै.मु. खाला , 16/1 की 0.2280हैक्‍ 16/2 की 0.0250हैक्‍ गै0मु0खाला , 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 25/1 की 0.2270 ,25/2 की 0.0260हैक्‍ गै.मु.खाला , कुल 12 किता की 2.2010हैक्‍ एवं 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

0760हैक्ट गै.मु.खाला प0न0 224/390(32) के किला न0 2/1 से 5/2 की 0.9110हैक्ट कमाण्ड 0.1010हैक्ट गै.मु.खाला प0न0 225/389(27) के किला न0 16/2 की 0.095हैक्ट 17/1 की 0.127हैक्ट 18/1 की 0.101हैक्ट , 19/1 की 0.101 ,20/1 की 0.126 ,21 ता 24/1.0120हैक्ट 25/1 की 0.2020 ,प0न0 225/390(31) के किला न0 1/1 की 0.2110हैक्ट , 1/2 की 0.0420हैक्ट भूमि गै.मु. ढाणी किला न0 2 की 0.2530हैक्ट भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 1 केएम के खाता संख्या 22/24 के प0न0 225/389(27) किला न0 11 ता 14/1.0120 ,15/1 की 0.1900 ,16/1 की 0.095 ,17/2 की 0.1260 ,18/2 की 0.152 ,19/2 की 0.152 ,20/2 की 0.127हैक्ट कुल 1.854हैक्ट भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 3 एव 4 के पास रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 34/25 के प0न0 227/401(18) के किला न0 16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250हैक्ट गै.मु. खाला 17 ,18/0.506 , 23/2 की 0.2277 ,24/2 की 0.2270 ,25/2 की 0.2027हैक्ट 25/3 की 0.0253हैक्ट गैमु0 खाला प0न0 227/402(23) के किला न0 3/1 की 0.2280 ,3/2 की 0.0253 हैक्ट गै.मु. खाला 4/1 की 0.2280 ,4/2 की 0.0250हैक्ट गै.मु. खाला , 5/1 की 0.2020हैक्ट 5/2 की 0.0510हैक्ट गै.मु. खाला 6/1 की 0.2280हैक्ट 6/2 की 0.02530हैक्ट, गै.मु.खाला 7 की 0.2530, 8 की 0.2530 ,प0न0 228/401(17) के किला न0 20/2 की 0.2277हैक्ट 21/2 की 0.2024हैक्ट कुल 3.3898हैक्ट भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– थालडका

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. संदीप कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 धनपतराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. अजीत कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. मनीराम पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. सुनिल कुमार गोदारा पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
8. अल्पा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
9. गोमती पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
10. गुडडी पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
11. मांगूदेवी पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
12. कैलाश पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 353 सन 2021 निर्णय दिनांक–21.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पास रोही मोजा चक 1 केएम के खाता संख्या 22/24 के प0न0 224/389(26) के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250हैक गै.मु. खाला , 16/1 की 0.2280हैक 16/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 ,25/1 की 0.2270 ,25/2 की 0.0260हैक गै.मु.खाला , कुल 12 किता की 2.2010हैक एवं 0.0760हैक गै.मु.खाला प0न0 224/390(32) के किला न0 2/1 से 5/2 की 0.9110हैक कमाण्ड 0.1010हैक गै.मु.खाला प0न0 225/389(27) के किला न0 16/2 की 0.095हैक 17/1 की 0.127हैक 18/1 की 0.101हैक , 19/1 की 0.101 ,20/1 की 0.126 ,21 ता 24/1.0120हैक 25/1 की 0.2020 ,प0न0 225/390(31) के किला न0 1/1 की 0.2110हैक , 1/2 की 0.0420हैक भूमि गै.मु.ढाणी किला न0 2 की 0.2530हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 1 केएम के खाता संख्या 22/24 के प0न0 225/389(27) किला न0 11 ता 14/1.0120 ,15/1 की 0.1900 ,16/1 की 0.095 ,17/2 की 0.1260 ,18/2 की 0.152 ,19/2 की 0.152 ,20/2 की 0.127हैक कुल 1.854हैक भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 3 एव 4 के पास रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 34/25 के प0न0 227/401(18) के किला न0 16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250हैक गै.मु. खाला 17 ,18/0.506 , 23/2 की 0.2277 ,24/2 की 0.2270 ,25/2 की 0.2027हैक 25/3 की 0.0253हैक गैमु0 खाला प0न0 227/402(23) के किला न0 3/1 की 0.2280 ,3/2 की 0.0250 हैक गै.मु. खाला 4/1 की 0.2280 ,4/2 की 0.0250हैक गै.मु. खाला , 5/1 की 0.2020हैक 5/2 की 0.0510हैक गै.मु. खाला 6/1 की 0.2280हैक 6/2 की 0.0250हैक, गै.मु.खाला 7 की 0.2530, 8 की 0.2530 ,प0न0 228/401(17) के किला न0 20/2 की 0.2277हैक 21/2 की 0.2024हैक कुल 3.3898हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....थालडका

Scanned with CamScanner